न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.100/प्रा.पत्र/2019	11.09.2019	20.08.2024
(GCMS No. 2019/00299)		

1. भैरूलाल आ.स्व.मांगीलाल जाति बंजारा निवासी भवानीपुरा
2. कंवरलाल आ.स्व.मांगीलाल जाति बंजारा निवासी भवानीपुरा
3. गेंदीलाल आ.स्व.मांगीलाल जाति बंजारा निवासी भवानीपुरा
4. गुढा आ.स्व.मांगीलाल जाति बंजारा निवासी भवानीपुरा
5. श्रीमती कालीबाई पत्नी फतेहसिंह जाति बंजारा नि. भवानीपुरा
6. बलवीर आ. फतेहसिंह नाबालिग जर्ये संरक्षिका माता कालीबाई
7. राहुल आ. फतेहसिंह नाबालिग जर्ये संरक्षिका माता कालीबाई पत्नी स्व. फतेहसिंह जाति बंजारा नि0 भवानीपुरा, तह. तालेडा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल आ. स्व. मांगीलाल जाति बंजारा निवासी भवानीपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
2. भू आवंटन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बून्दी (जिला बून्दी)
3. तहसीलदार तालेडा (जिला बून्दी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थीगण की ओर से श्री नवेद केसर एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 2025/241 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम तालाब बरधा आवंटन आदेश दिनांक 19.12.1985 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 100/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2019/00229 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। जिला अभिलेखगार से मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम तालाब बरधा, तहसील तालेडा की भूमि खसरा संख्या 2025/241 रकबा 5 बीघा प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय मांगीलाल जी द्वारा नोतोड से आबाद कर काबिज काश्त बनाया था जिस पर पहले स्वर्गीय मांगीलाल एवं उनके स्वर्गवास के बाद 6 पुत्रों प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.1 भंवरलाल का बराबर हिस्से अनुसार कब्जा है। इसके बावजूद उक्त भूमि को अप्रार्थी सं.1 द्वारा अकेले ही अपने नाम आवंटन करवा लिया। दिनांक 17.6.2011 को जाति समाज के पंचों के समक्ष भंवरलाल द्वारा एक राजीनामा लिख कर विवादित भूमि के 6 हिस्से होने का तथ्य स्वीकार किया था, किन्तु उसके मन में बदनियति आ जाने से उसने राजस्व रिकार्ड में अकेले का अपना नाम दर्ज करवा लिया। आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा आवंटन से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर कब्जा की रिपोर्ट तलब की गई। आवंटन के बाद आवंटी को मौके पर कब्जा नही संभलाया गया। इस प्रकार आवंटित भूमि पर काबिज काश्त प्रार्थीगण की सुनवाई किये बिना एवं मौके पर कब्जा की जांच किये बिना किया गया आवंटन नियमों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी सं.1 द्वारा माह अगस्त,2018 में प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर से बेदखल कर भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी देने के कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन की नकल हेतु दिनांक 16.08.2019 को आवेदन पेश किया, नकल दिनांक 22.08.2019 को प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1 भंवरलाल के पक्ष में दिनांक 19.12.1985 को किये गये भूमि खसरा संख्या 2025/241 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम तालाब बरधा को निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी सं.1 के अभिभाषक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी सं.1 को आवंटन परामर्शदात्री समिति ने आवंटन का पात्र मानते हुऐ प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया। आवंटित भूमि पर आवंटी काबिज रहकर निरन्तर काश्त कर रहा है। प्रार्थीगण द्वारा आवंटन के 34 वर्ष बाद आवेदन करना उचित नहीं है, प्रार्थना पत्र अवधि बाधित है। प्रार्थीगण ने अपना पुराना कब्जा होना प्रकट किया है, किन्तु इसका कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर पुराना

जिला कलेक्टर, बून्दी

कब्जा होना, सक्षम अधिकारी के पास भूमि नियमन हेतु आवेदन किया जाना अथवा वक्त आवंटन, आवंटन समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रकट हो सके। कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन अधिनियम,1970 के तहत आवंटन के 3 वर्ष बाद गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है। वैसे भी गैर खातेदार अप्रार्थी सं.1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। बाद में खातेदार अप्रार्थी सं.1 द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकता होने से उक्त आराजी को अन्य को बेचान किया जा चुका है। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण औचित्यहीन होने से खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ कि भंवरलाल आ. मांगीलाल बंजारा निवासी भवानीपुरा को पत्रावली सं.115/आवंटन/1985 पर दिनांक 19.12.1985 को भूमि खसरा संख्या 241 में से रकबा 5 बीघा वाकेग्राम तालाब बरधा का आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्ध 34 वर्ष के असाधारण विलम्ब से हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रथमदृष्टया प्रमाणित नहीं पाये गये। दौराने बहस वकील अप्रार्थी सं.1 की ओर से पेश की गई नकल जमाबंदी संवत् 2076 में शैलेन्द्र सिंह पंवार पुत्र अमर सिंह पंवार हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत निवासी कोटा के नाम खातेदार दर्ज रेकार्ड होना पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी गैर खातेदारी में दर्ज नहीं होकर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत खातेदारी भूमि के संबंध में यह कार्यवाही चलने योग्य नहीं है, जैसा कि आर.आर.डी. 1987 पृष्ठ संख्या 359 एवं 371 में भी उद्हरित है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद भूमि आवंटन निमयों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। प्रार्थीगण यदि उक्त आराजी पर अपना हक अधिकार मानते है तो वे काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में अधिकार घोषणा का दावा करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि खातेदारी की भूमि बाबत भूमि आवंटन नियम 14(4) एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से यहां चलने योग्य नहीं है। अतः विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी